महत्वपूर्ण

अर्द्धशा0 परिपत्र संख्या-डीजी-(46)/16

जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।
दिनांक:अगस्त 03, 2016

प्रिय महोदय,

आप सभी अवगत हैं कि प्रदेश में स्थित नेशनल हाई-वेज एवं स्टेट हाई-वेज की सुरक्षा एक अत्यन्त संवेदनशील विषय है। वर्तमान में प्रदेश पुलिस को आपराधिक दृष्टि से संवेदनशील हाई-वेज की सुरक्षा-व्यवस्था एवं संसाधनों की समीक्षा कर उनको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हाई-वेज की सुरक्षा-व्यवस्था के लिए और अधिक संख्या में हाई-वे पेट्रोलिंग वाहन, संवेदनशील बिन्दुओं पर सुदृढ़ पुलिस पिकेट लगाया जाना, अस्थायी चेक पोस्टों की व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों का लगाया जाना आवश्यक है।

2- इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि-

- हाई-वेज पर पड़ने वाले थानों/चैकियों में प्राथमिकता के आधार पर स्टाफ की रिक्तियों की पूर्ति की जाये और उन्हे हाई-वेज की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाये।
- हाई-वेज पर पड़ने वाले थानों एवं चौकियों के मध्य वायरलेस सेट के माध्यम से बेहतर अन्तर्जनपदीय संचार व्यवस्था की जाये।
- संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर उन पर पुलिस पिकेट्स की संख्या बढ़ायी जाये।
- रात्रि में हाई-वे पेट्रोलिंग के लिए थाने में उपलब्ध दो वाहनों में से एक वाहन का उपयोग अवश्य किया जाये। इस वाहन में फ्लैश लाईट लगी हो तथा सम्बन्धित थाने का नाम अंकित हो, जिससे वह दृष्टिगोचर हो।
- हाई-वे के जिन थानों में केवल एक वाहन उपलब्ध है, वहां जनपदीय पुलिस अधीक्षक किसी अन्य थाने से एक वाहन और उपलब्ध करा दें।
- पुलिस लाईन्स में भी कुछ वाहन अतिरिक्त रूप से उपलब्ध रहते हैं। उनका उपयोग भी रात्रि में हाई-वे पेट्रोलिंग के लिए किया जाये।
- जहां वाहन उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है, वहां हाई-वे पेट्रोलिंग के लिए किराये पर वाहन लिए जायें।
- हाई-वे पर चेकिंग करने वाले पुलिस स्टाफ को जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा फ्लोरेसेण्ट जैकेट उपलब्ध कराये जायें। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इन्हें चेकिंग पार्टी द्वारा अवश्य धारण किया जाये।
- हाई-वेज के आपराधिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया जाये, विशेषकर ऐसे स्थान जहां पुल, पुलिया, नहर, नाला, जंगल आदि हैं। ऐसे स्थानों पर नेशनल हाई-वे अथारिटी/स्टेट हाई-वे अथारिटी से सम्पर्क कर सोलर लाईटें लगवायी जायें।

- हाई-वेज पर कुछ स्थान/बिन्दु अपराध की दृष्टि से विशेष संवेदनशील होते हैं, उन्हें चिन्हित कर वहां विशेष चेकिंग की व्यवस्था की जाये और सामान्य स्थानों की तुलना में वहां अधिक पुलिस बल लगाया जाये।
- जनपदीय पुलिस अधीक्षक यह देख लें कि यदि किसी थाना क्षेत्र में हाई-वे की लम्बाई अधिक है और उसकी पेट्रोलिंग/चेकिंग के लिए उस थाने के पास पर्याप्त जनशक्ति/संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो वे इसकी पूर्ति अन्य समीपवर्ती थाने की जनशक्ति/संसाधनों से करें।
- प्रतिदिन हाई-वे पेट्रोलिंग के लिए प्रत्येक जनपद में रात्रि 2300 बजे से 0400 बजे तक एक क्षेत्राधिकारी की ड्यूटी अवश्य लगायी जाये। जहां हाई-वे की लम्बाई अधिक है, वहां दो क्षेत्राधिकारियों की ड्यूटी लगायी जाये।
- प्रत्येक जनपद में सप्ताह में एक दिन हाई-वे पेट्रोलिंग के लिए अपर पुलिस अधीक्षक की ड्यूटी लगायी जायेगी। जहां एक से अधिक अपर पुलिस अधीक्षक उपलब्ध हों, वहां सप्ताह में दो दिन अपर पुलिस अधीक्षक की ड्यूटी लगायी जायेगी।
- जनपदीय पुलिस अधीक्षक सप्ताह में एक दिन स्वयं हाई-वे पर पेट्रोलिंग करेंगे।
- परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक सप्ताह में एक दिन स्वयं हाई-वे पेट्रोलिंग करेंगे।
- जोनल पुलिस महानिरीक्षक पन्द्रह दिवस में एक बार स्वयं हाई-वे पेट्रोलिंग करेंगे।
- जोनल पुलिस महानिरीक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रतिदिन रात्रि 2300 बजे से 0400 बजे के बीच जोन में पड़ने वाले जनपदों से हाई-वे पेट्रोलिंग के सम्बन्ध में सूचना लेकर अगले दिन उसकी प्रगति से अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0 को अवगत करायेंगे।
- जनपदीय पुलिस अधीक्षक हाई-वे पर लूट/अन्य अपराध करने वाले प्रकाश में आये अपराधियों का रिकार्ड अद्यावधिक रखेंगे। इस प्रकार के जो अपराधी जेल से बाहर हैं, उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
- हाई-वेज पर स्थित टोल प्लाजा पर चेकिंग के लिए थाना/चौकी से 02-02 उपनिरीक्षकों की मय स्टाफ ड्यूटियां लगायी जायेंगी।
- थाना स्तर से टोल प्लाजा के लोगों से तालमेल बनाये रखा जायेगा और वहां से गुजरने वाले संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जायेगी।
- विशेष रूप से घुमन्तू अपराधी ट्रकों एवं टैम्पो-ट्रैवलर वाहनों से अपराध करने जाते हैं और इन वाहनों में वे अपराध करने में काम आने वाले औजार-हथियार आदि भी रखते हैं। अपराध करने के बाद वे इन्हीं वाहनों में लूटा गया माल भी रखते हैं।
- इस दृष्टि से ऐसे वाहनों/व्यक्तियों की विशेष रूप से चेकिंग की जाये। यह ध्यान रखा जाये कि टोल प्लाजा पर केवल संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की ही चेकिंग की जानी है, न कि सभी वाहनों/व्यक्तियों की ।

3- नेशनल हाई-वे आथरिटी आफ इंण्डिया तथा उ0प्र0 स्टेट हाई-वे आथरिटी एवं सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की मीटिंग कर हाई-वे पर होने वाले अपराधों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जाये। ऐसे हाई-वेज पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी आवश्यक है, इस सम्बन्ध में भी उनसे विचार-विमर्श कर प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने के प्रयास किये जायें।

4- जो हाई-वेज आपराधिक दृष्टि से संवेदनशील हैं और जिन पर थाने/चौकियां स्थित हैं, उन पर अस्थायी चेक पोस्ट बनाये जायें। लेकिन यह विशेष रूप से ध्यान में रखा जाये कि इन चेक पोस्टों पर पुलिस द्वारा किसी प्रकार का कदाचार या भ्रष्ट आचरण न किया जाये, जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो। संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग का मूल उद्देश्य इन हाई-वेज पर गुजरने वाले वाहनों/व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना है। यदि पुलिस द्वारा चेकिंग स्थलों पर किसी प्रकार का भ्रष्ट आचरण किया जाना प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित के विरूद्व कठोर अनुशासनात्मक/विधिक कार्यवाही की जाये।

5- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कुल 42 नेशनल हाई-वेज एवं 83 स्टेट हाई-वेज हैं। इनमें नेशनल हाई-वेज की लम्बाई 5599 किमी. है, जबकि स्टेट हाई-वेज की लम्बाई 8232 किमी. है । इनमें आपराधिक दृष्टि से संवेदनशील प्रमुख हाई-वेज का विवरण निम्नवत है-

- <u>एन.एच.-2</u> - उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी होते हुए चन्दौली जाता है। इसकी लम्बाई 752 किमी. है।
- <u>एन.एच.-24</u> - यह राष्ट्रीय राजमार्ग गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली होकर लखनऊ जाता है। इसकी लम्बाई 431 किमी. है।
- <u>एच.एच.-76</u> - यह राष्ट्रीय राजमार्ग झाँसी, बाँदा होते हुए इलाहाबाद जाता है। इसकी लम्बाई 500 किमी. है।
- <u>एच.एच.-91</u> - यह राष्ट्रीय राजमार्ग गाजियाबाद, दादरी, बुलन्दशहर, खुर्जा, अलीगढ़, कन्नौज होते हुए कानपुर जाता है। इसकी लम्बाई 400 किमी. है।
- <u>एच.एच.-93</u> - यह राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा, हाथरस, अलीगढ़, चन्दौसी होते हुए मुरादाबाद जाता है। इसकी लम्बाई 220 किमी. है।
- <u>स्टेट हाई-वे-1ए</u> - यह राजमार्ग महाराजगंज, फरेन्दा, सिद्वार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर होते हुए गोण्डा जाता है। इसकी लम्बाई 230 किमी. है।
- <u>स्टेट हाई-वे-05</u> - यह राजमार्ग अकबरपुर, जौनपुर, मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र जाता है। इसकी लम्बाई 207 किमी. है।
- <u>स्टेट हाई-वे-34</u> - यह राजमार्ग सुलतानपुर, आजमगढ़ होते हुए बलिया जाता है। इसकी लम्बाई 315 किमी. है।

- <u>स्टेट हाई-वे-51</u> - यह राजमार्ग बदायूं, बिलसी, इस्लामनगर, बहजोई, सम्भल, हसनपुर होते हुए गजरौला जाता है। इसकी लम्बाई 209 किमी. है।
- <u>स्टेट हाई-वे-57</u> - यह राजमार्ग दिल्ली, सहारनपुर होते हुए यमुनोत्री रोड जाता है। इसकी लम्बाई 206 किमी. है।

6. इनके अतिरिक्त, स्थानीय स्तर पर हाई-वेज की आपराधिक संवेदनशीलता का समुचित मूल्यांकन करके उन पर <u>अस्थायी चेकपोस्ट, सीसीटीवी कैमरे, पेट्रोल कार, गश्त, पिकेट/चेकिंग</u> की व्यवस्था आपके स्तर पर की जानी है। जनपद स्तर पर उपलब्ध संसाधनों/पुलिस बल का उचित मूल्यांकन कर इन हाई-वेज की सुरक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना आपका दायित्व है।

7- उपरोक्त उल्लिखित बिन्दु महत्वपूर्ण होने के कारण हाई-वेज की सुदृढ़ सुरक्षा-व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन मात्र हैं। इसके साथ ही स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जनपदीय पुलिस तथा जिला प्रशासन द्वारा स्वविवेक का प्रयोग भी आवश्यक है।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप हाई-वेज पर घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम को प्राथमिकता देते हुए अपने-अपने जनपद में हाई-वेज की सुरक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर अपना योगदान करेंगे। हाई-वेज पर घटित होने वाली आपराधिक घटनायें नियंत्रित करना पुलिस का प्रमुख उत्तरदायित्व है।

भवदीय,

31/9/16.

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
<u>जनपद प्रभारी, उ0प्र0।</u>

<u>प्रतिलिपि:</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।